याचिका | दायर की चुनाव याचिका

राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर मीनाक्षी हाईकोर्ट की शरण में

जबलपुर। कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश की राज्यसभा से नामांकन रद्द किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गयी है। याचिका में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित प्रकरण की जानकारी छुपाने के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नियम के दरकिनार करते हुए नामांकन निरस्त किया गया है। याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई संभावित है।

हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका में उनकी तरफ से कहा गया है कि एक महिला तरफ से दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए तेलंगाना की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी किये थे। परिवाद में उनके खिलाफ कोई विशेष आरोप नही है। उन्हें सिर्फ प्रतिवादी बनाये जाने के कारण न्यायालय में समन जारी किये थे। न्यायालय ने उनका पक्ष जानने के लिए समन जारी किये थे। उनके खिलाफ न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नही था। रिटर्निंग ऑफिसर ने नियम विरुद्ध तरीके से उनका नामांकन निरस्त किया है।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर ने राज्यसभा सदस्य के लिए दायर नामांकन को निरस्त कर दिया था। भाजपा की तरफ से आपत्ति की गयी थी कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में उनके खिलाफ समन जारी हुए है। जिसकी जानकारी उन्होने नामांकन पत्र में छुपाई है। नामांकन निरस्त किये जाने के खिलाफ उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष अपील दायर की थी। चुनाव आयोग से राहत नहीं मिलने के कारण उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण याचिका में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए उन्हें चुनाव याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी।

न्यायालय के कर्मचारियों से अधिक वेतन वसूली पर हाईकोर्ट की रोक

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मंडला जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अधिक वेतन की वसूली के आदेश को चुनौती देने पर राहत प्रदान की है। याचिकाकर्ताओं निलोफर कुरैशी सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता रावेंद्र तिवारी व तनया मनुचा ने पक्ष रखा।दलील दी कि याचिकाकर्ता जिला न्यायालय, मंडला के कार्यरत कर्मचारी हैं और कथित गलत वेतन निर्धारण के आधार पर उनसे अधिक वेतन की वसूली का आदेश जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के रफीक मसीह निर्णय का हवाला देते हुए दलील दी गई कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से इस प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक वसूली आदेश के प्रभाव एवं संचालन पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई सितंबर 2026 में होगी।

दस दिन में पेश करें अनुपालन रिपोर्ट वरना सीईओ रहे मूल दस्तावेजों के साथ हाजिर

मप्र हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत चावरपाठा के ग्राम गरहा स्थित उप-स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने बनाए जा रहे सामुदायिक भवन के निर्माण संबंधी मामले को गंभीरता से लिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने पूर्व में लगाई गई रोक के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट पेश न होने पर नाराजगी व्यक्त की। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दस दिनों में 7 जुलाई के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये है। ऐसा न होने की स्थिति पर न्यायालय ने जिला पंचायत सीईओं नरसिंहपुर को मूल दस्तावेजों के साथ हाजिर रहने के निर्देश दिये है। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की गई है।दरअसल यह जनहित याचिका नरसिंहपुर निवासी अमित पेठिया की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बृजेन्द्र स्वरूप साहू व रविकांत शुक्ला ने पक्ष रखते हुए कहा कि उप-स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने सामुदायिक भवन का निर्माण होने से मरीजों की आवाजाही एंबुलेंस के आवागमन तथा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर व्यवधान उत्पन्न होगा। यह निर्माण सार्वजनिक हित और स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता के प्रतिकूल है। प्रथम दृष्टया तर्कों को महत्वपूर्ण मानते हुए न्यायालय ने विगत 7 जुलाई को निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगाने के निर्देश दिये थे। मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

वांगचुक को कुछ हुआ तो सांसद बने रहना स्वीकार नहीं : तन्खा

जबलपुर। राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वांगचुक का अनशन समाप्त कराना संसद, सरकार और न्यायपालिका-तीनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी अपने संदेश में कहा कि यदि अनशन के दौरान सोनम वांगचुक को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है, तो यह पूरे लोकतांत्रिक तंत्र की सामूहिक विफलता मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात उत्पन्न होने पर वह स्वयं सांसद बने रहना भी पसंद नहीं करेंगे। तन्खा के इस बयान को वांगचुक के आंदोलन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से संवाद के माध्यम से समाधान निकालने और स्थिति को संवेदनशीलता के साथ संभालने की अपील की। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं।

पांच युवकों को मौत की नींद सुलाने वाले की तलाश

- साजिश के तहत हुई थी पांच हत्याएं, बढ़ेगी धाराएं
- संदेहियों से पूछताछ छापेमारी, सर्चिंग

नवभारत, जबलपुर। नरसिंहपुर जिला, सुआतला थाना अंतर्गत इंद्रा नगर हाथीनाला के सामने एनएच 45 में रविवार शाम पांच युवकों को मौत की नींद सुलाने वाले डंपर चालक, मालिक की तलाश में सुआतला थाने की पुलिस जबलपुर पहुंची। इसके बाद शहर क्राइम ब्रांच, बेलखेड़ा थाने की पुलिस के साथ बेलखेड़ा स्थित आरोपित के घर तक पहुंची लेकिन वे वहां नहीं मिला। संदेहियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई इसके बाद संभवित ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसके साथ ही मामले की हर एंगल पर तफ्तीश शुरू कर दी गई। बयान व जांच में पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले है जिसमें गैर इरादतन हत्या की एफआईआर में हत्या की धाराएं बढ़ना तय है। सुनियोजित साजिश के तहत हत्याएं कराने के सबूत पुलिस ने जुटा लिए है इसके साथ ही आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपित पुलिस गिरफ्तार में होगे। विदित हो कि रविवार देर शाम सुआतला थाना अंतर्गत इंद्रा नगर हाथीनाला के सामने जबलपुर की ओर से आ रहे एक बिना नंबर के एक तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े आधा दर्जन से अधिक लोगों को बेरहमी से कुचल दिया था। जिसमें वीरेन्द्र सिंह लोधी, राजपाल, राजेन्द्र, जयपाल, नीरज की मौत हो गई थी। सोमवार को आक्रोशितजनों ने बेलखेड़ा पावला तिराहा में शवों को रखकर चक्काजाम किया था । गुस्साएं लोगों का कहना था कि यह एक्सीडेंट नहीं,सुनियोजित तरीके से साजिश रचते हुए हत्याएं की गई है

ऐसे घूमी शक की सुई, गहराया साजिश का संदेह

आरोपी आनंद ठाकुर और मृतक राजेन्द्र लोधी के बीच में रंजिश चल रही थी। रेत विवाद भी था। राजेन्द्र ने रेत के अवैध कारोबार के खिलाफ मुहिम भी चलाई थी। अवैध रेत कारोबार को लेकर शिकायतें भी की थी। जिला प्रशासन की खनिज विभाग की टीम ने पावला में कार्रवाई भी की थी। रेत उत्खनन से जुड़े वाहनों को भी पकड़ा था। ये कारोबार आनंद ठाकुर का था। इसके बाद भी आंनद राजेन्द्र पर शक करने लगा था। जिस डंपर से युवकों को कुचला गया वे आनंद का ही निकला । जहां एक्सीडेंट हुआ वहां की सड़क काफी चौड़ी है। युवक सड़क किनारे थे। डंपर ने जानबूझकर टक्कर मारी । डंपर कहीं से भी न तो बहका था और न ही अनियंत्रित हुआ था। पुलिस गवाहों, परिजनों के बयान भी दर्ज किए। तफ्तीश के दौरान साक्ष्य भी जुटाए।

साक्ष्य मिले, धाराएं बढ़ना तय आरोपियों की तलाश जारी

नरसिंहपुर एसपी ऋषिकेश मीना ने बताया कि पुलिस को तफ्तीश के दौरान अहम साक्ष्य मिले है। गैर इरादतन हत्या के तहत दर्ज प्रकरण में सुनियोजित तरीके से हत्या किए जाने की धाराएं बढ़ना है। डंपर चालक की तलाश जारी है । नरसिंहपुर से लेकर जबलपुर में छापेमारी चल रही है। जल्द ही पुलिस आरोपियों को दबोच लेगी।

रेत घाट विवाद, जल्द पकड़ेंगे आरोपी

एएसपी जबलपुर ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि अवैध रेत घाट को लेकर मृतक और आरोपी के बीच पूर्व में विवाद होने की बातें सामने आई है । सुआतला थाने में गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज हुई । परिजनों ने सुनियोजित तरीके से हत्या के आरोप लगाए है । सुआतला पुलिस ने चश्मदीदों के बयान दर्ज किए थे। प्रकरण में डंपर मालिक का नाम जोड़ा गया है । जबलपुर भी आरोपी की तलाश कर रही है । जल्द ही आरोपी को पकड़कर नरसिंहपुर पुलिस के हवाले कर देंगे।

विरोधियों को देशद्रोही बताकर आवाज दबाने का प्रयास कर रही सरकार : मीनाक्षी नटराजन

जबलपुर । कांग्रेस की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में कथित धांधली के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए जबलपुर पहुंचीं। इस दौरान मीडिया से अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने नीट आंदोलन, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीट आंदोलन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। संविधान के दायरे में अपनी बात रखने वाले छात्रों और नागरिकों पर बल प्रयोग किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकता। सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी उन्होंने कड़ी निंदा की।

मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों के बीच कई अभ्यर्थियों की आत्महत्या की घटनाएं बेहद दुखद हैं और इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संसद मार्च युवाओं के आक्रोश का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। पूर्व सांसद ने किसान आंदोलन, सीएए विरोध प्रदर्शन और भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि सरकार हर विरोध करने वाले को देशद्रोही बताकर उसकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई देश के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है और लोकतांत्रिक तरीके से युवाओं का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि अब सरकार की वास्तविकता जनता के सामने आने लगी है।

स्कूल से घर लौट रही बालिका को श्वान ने काटा

नवभारत, जबलपुर। पाटन थाना अंतर्गत ग्राम गाडाघाट में एक खूंखार श्वान ने स्कूल से घर लौट रही बालिका पर अटैक करते हुए उसे काट लिया। हमले में वे खून से लथपथ हो गई। चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़े और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए जहां उसका उपचार किया गया। जिसके बाद मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। पाटन पुलिस ने बताया कि शेख जाहिद निवासी ग्राम गाडाघाट की की बेटी हुमेरा 10 वर्ष गांव के स्कूल से घर आ रही थी हारुम के घर सामने उसका पालतू कुत्ता काले रंग जिसको वह और उसके परिवार के लोग बांध कर नहीं रखे थे खुल्ला बैठा था। हारुम की लापरवाही से कुत्ता दौड़कर हुमेरा को दाहिने तरफ कमर में काट लिया जिससे उसे चोटें आ गई। पुलिस ने श्वान मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

रैन बसेरों में अवैध वसूली पर सिटी मिशन मैनेजर बर्खास्त

नवभारत, जबलपुर। रैन बसेरों में ठहरने वाले बेघर लोगों से अवैध वसूली और अन्य अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सिटी मिशन मैनेजर चंदन कुमार प्रजापति को तत्काल प्रभाव से पद से बर्खास्त कर दिया गया है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने उनकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए हैं। रैन बसेरों में आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर कलेक्टर जबलपुर के निर्देशों के बाद मामले की गहन जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट में अवैध लेन-देन की पुष्टि होने पर निगमायुक्त ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका संतोषजनक उत्तर न मिलने पर यह सख्त कदम उठाया गया।

संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उठाया गया कदम

इस मौके पर निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने कहा कि रैन बसेरों का उद्देश्य बेघर लोगों को नि:शुल्क आश्रय देना है और ऐसी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच रिपोर्ट में चंदन कुमार प्रजापति की अवैध लेन-देन में सक्रिय भूमिका की पुष्टि हुई, जिसके बाद निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर यह सख्त कदम उठाया गया है। इस मौके पर निगमायुक्त ने कहा कि रैन बसेरों का उद्देश्य बेघर और जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क एवं सुरक्षित आश्रय देना है। ऐसे स्थानों पर किसी भी प्रकार के अवैध लेन-देन पर नगर निगम अब पूरी तरह सख्त है। उन्होंने आगे कहा कि शासकीय योजनाओं और व्यवस्थाओं में किसी भी स्तर पर होने वाली गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम ने प्रशासन में पारदर्शिता और नागरिकों के प्रति जवाबदेही तय करने की दिशा में यह कदम उठाया है।

बीपीसीएल तेवर और एचपी घाना पंप में छापा, हुई जांच

जबलपुर। बीपीसीएल तेवर और एचपी घाना पंप में जांच दलों ने छापा मारते हुए जांच पड़ताल की। दरअसल सीएनजी के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ कथित धोखाधड़ी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले के छह सीएनजी पंपों की जांच के लिए अलग-अलग जांच दल गठित किए हैं। कलेक्टर कार्यालय (शिकायत शाखा) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के विभिन्न स्थानों पर संचालित आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के छह सीएनजी पंपों की तथ्यात्मक जांच की जाएगी। जांच दलों में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारी तथा संबंधित ऑयल कंपनी के सेल्स अधिकारी को शामिल किया गया है। जिन पंपों की जांच की जाएगी उनमें रांझी स्थित आईओसीएल सीबीजी पंप, विजयनगर स्थित एचपीसीएल पंप, महाराजपुर स्थित बीपीसीएल पंप, अंधमुख बायपास स्थित एचपीसीएल पंप, तिलवारा स्थित एचपीसीएल पंप तथा तेवर स्थित बीपीसीएल पंप शामिल हैं। संबंधित जाँच अधिकारियों बीपीसीएल तेवर और एचपी घाना पंप में सीबीजी से सम्बंधित कारणों की जाँच की गई हैं। अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जांच दलों को शिकायत पत्र में वर्णित सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच कर स्पष्ट अभिमत सहित तीन दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57